Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 6, May-2019, ISSN 2230-7540

गया जिला के ग्राम पंचायतों के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता: एक अध्ययन

Manju Kumari*

Assistant Teacher, Primary School, North Saidpur, Mahendru, Patna

सार – ***जीविकोपार्जन और संतानोत्पत्ति की दोहरी भूमिका के बीच खड़ी महिलायें विभिन्न भूमिकाओं में माँ, बहन, बेटी, पत्नी इत्यादि के रूप में पारिवारिक दायित्वों को अनन्तकाल से सफलतापूर्वक निभा रही है। साथ ही प्रत्येक क्षेत्रों यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक में अपनी प्रतिभा, मेहनत,लगन का परिचय दे चुकी है। महिलायें अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति आज सजग और संवेनशील भी है। प्रस्तुत अध्ययन मुख्य रूप से गया जिला के ग्राम पंचायतों के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर आधारित है। जिसमें मुख्य रूप से इन तथ्यों का अध्ययन किया जायेगा कि गया जिलान्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के महत्वपूर्ण पदों पर चयनित महिला ग्राम प्रधानों को पंचायतों में अपनी राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये कौन-कौन से प्रमुख कारकों ने प्रेरित किया; इससे संबंधित प्रमुख तथ्यों का विश्लेषण भी किया जायेगा।***

----------X----------

अध्ययन का उद्वेश्य-

इस बात की जानकारी प्राप्त करना कि गया जिले के ग्राम पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता किन कारकों से प्रभावित हुई है और उसका क्या प्रभाव पड़ा है तथा इसमें सहभागिनी महिलाओं का सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक स्तर क्या है। क्या वे राजनीतिक सहभागी होने के बावजूद स्वयं को पुरूष के हाथों का खिलौना समझती हैं, यह जानना भी इस अध्ययन का उद्वेश्य है।

अध्ययन क्षेत्र-

प्रस्तुत अध्ययन के लिये बिहार के गया जिले के ग्राम पंचायतों को अध्ययन सामग्री बनाया गया है।

अध्ययन पद्धति-

प्रस्ततु अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और अध्ययन के लिये आंकड़ों का संकलन प्राथमिक और द्वितीय स्त्रोतों से किया गया है। द्वितीयक स्त्रोतों में विभिन्न शोध-प्रबंधों, पत्र-पत्रिकाओं जिला गजेटियर आदि का उपयोग किया गया है।

विश्लेषण-

महाभारत और रामायण काल से भी पहले पंचायत किसी निश्चित क्षेत्र में चुने पाँच प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक निकाय होती थी। इसका निश्चित क्षेत्र एक गाँव हुआ करता था। गाँव इसलिये कि यह एक स्वाभाविक और मूल इकाई थी। और इसके उपर की सभी इकाइयों का रूप बदलता रहता था। देश और राज्य की सीमायें बड़ी-छोटी होती रही। भाषा और सत्ता के आधार पर देश और राज्य की व्यवस्था में परिवर्तन होता रहा, पर गाँव आज भी एक स्थिर इकाई बना रहा। भौगोलिक एवं सामाजिक दोनों तरह से यह इन सभी बदलावों से अछूता रहा। गाँवों में समुदायपरक समस्याओं का समाधान आदि पर विचार-विमर्श करने एवं उसके उचित समाधान निकालने के लिए पंचायत की व्यवस्था थी जिसके निर्णय सबको मान्य होते थे। पंचायत की यह ग्रामस्तरीय व्यवस्था मुगलों के शासनकाल तक अनवरत चलता रहा। किन्तु अंग्रेजों के आते ही इसमें रूकावट आने लगी। उन्हें इसके स्वायत्त इकाई का स्वरूप बिल्कुल अनुकूल नहीं लगा। अतः इसके साथ उन्होने छेड़-छाड़ शुरू कर दी। अंततः 1786 ई. में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य लार्ड बर्क ने तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के विरूद्ध भारत में गाॅव की व्यवस्था तोड़ने का महाभियोग प्रस्ताव ले आए। कालांतर में तत्कालीन गवर्नर जनरल मेटकॉफ़ ने 1830 में

www.ignited.in

ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें लिखा, "ग्राम समुदाय छोटे-छोटे गणराज्य हैं, जो अपने लिये सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं। ये सभी प्रकार के बाहरी दबावों से मुक्त हैं। इनके अधिकारों और प्रबंधों पर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। एक के बाद एक साम्राज्य आते गये, क्रांतियाँ एवं परिवर्तन हुये पर ग्राम-समुदाय की व्यवस्था उसी तरह बनी रही।"

सन् 1947 में आजादी मिलने के बाद राज्यों में अन्तरिम सरकार का गठन हुआ। तत्पश्चात् सबसे पहले उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार में स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने के लिये और ग्राम स्तर पर छोटे-छोटे विवादों के निराकरण के लिये बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 का गठन हुआ। बिहार सहित सम्पूर्ण भारतवर्ष में पंचायत राज को सशक्त बनाने के लिये कई कमिटियों को गठन किया गया जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बलवंत राय मेहता कमिटी थी। इस कमिटी ने ही त्रि-स्तरीय पंचायत राज का सुझाव दिया जिसे सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। पंचायत का वर्तमान स्वरूप 1986 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा गठित सिंघवी कमिटी की देन है। इसी कमिटी की सिफारिशों की पृष्ठभूमि में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में पंचायत राज संबंधी व्यापक एवं अनिवावर्य प्रावधान किये गये । इस संशोधन द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने के साथ-साथ बिहार सहित पूरे देश में पंचायती राज में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया।

किसी समुदाय के सदस्यों के विचार तथा व्यवहार को समझने के लिए समुदाय के पारिवारिक,सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का ज्ञान एक पूर्व शर्त या धारणा होती है। वैसे तो यह हर मानव समुदाय के लिए महत्ववपूर्ण है परन्तु इसका महत्व ग्रामीण समुदायों के परिप्रेक्ष्य में और बढ़ जाता है। विश्व के प्रत्येक समाज में परिवार अनिवार्य रूप से पाया जाता है। किन्तु भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में इसका आकार एवं प्रकार भिन्न-भिन्न होता है। कुछ समाजों में इसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है जिसे समाजशास्त्रीय भाषा में संयुक्त परिवार कहा जाता है। भारतीय समाज में परम्परागत रूप से पाये जाने वाले परिवार संयुक्त परिवार है। परम्परागत भारतीय संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति के मुख्य केन्द्र माने जा सकते हैं। वास्तव में भारतीय समाज की इकाई व्यक्ति न मानकर संयुक्त परिवार को माना गया है। आधुनिकता के प्रभाव में धीरे-धीरे संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और एकल परिवार का प्रचलन बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी संयुक्त परिवार को आदर के साथ देखा जाता है। कतिपय महिला ग्राम प्रधानों के परिवारों के स्वरूप का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि 160 महिला ग्राम प्रधानों में 44 ग्राम प्रधान अशिक्षित हैं। अशिक्षित महिला ग्राम प्रधानों में से 36.35 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधानों का परिवार एकाकी है तथा 63.63 का परिवार संयुक्त है। अध्ययन में सम्मिलित 160 महिला ग्राम प्रधानों में से 56 अर्थात् 35 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधानों का शैक्षणिक स्तर मिडिल है। 11 अर्थात 6.87 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधानों का शैक्षणिक स्तर हाईस्कूल की है। जबकि 22 अर्थात 13.75 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधानों का शैक्षणिक स्तर स्नातक है।

पारिवारिक मासिक आय-

44 अशिक्षित महिला ग्राम प्रधानों में से 10 अर्थात 22.72 प्रतिशत का पारिवारिक मासिक आय 5000 से नीचे तथा 30 अर्थात् 68.18 प्रतिशत का पारिवारिक मासिक आय रु 5000-10,000 तक पाया गया। जबकि मिडिल शैक्षणिक स्तर के 53.57 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधानों का पारिवारिक मासिक आय 5000-10,000 रु तक पाया गया। इसी प्रकार हाईस्कूल तक पढ़े-लिखे महिला ग्राम प्रधानों में से 27.27 प्रतिशत, 36.36 प्रतिशत, 27.27 प्रतिशत तथा 9.9 प्रतिशत का पारिवारिक मासिक आय क्रमशः रु 5000 से नीचे, 5000-10,000, 11000-15000 तथा 16000-20,000 तक पाया गया स्नातक स्तर के लगभग 31.81 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधानों का पारिवारिक मासिक आय 20,000 से अधिक है।

राजनैतिक सहभागिता-

राजनीति साधारण तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष और इस संघर्ष का प्रतिरोध दोनो है। यह या तो परिवर्तन के पक्ष में होता है। अथवा उसका प्रतिरोध करता है। राजनीतिक प्रक्रिया में व्यक्तिगत और सामूहिक हितों की रक्षा के लिए वार्ता और सौदेबाजी की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। स्वतंत्रता के पश्चात जिस राजनीतिक नेतृत्व ने सत्ता संभाली उसका विकास मुख्यतः पाश्चात्य उदारवादी दर्शन के साथ हुआ था। ऐसा लगता है कि वे एक लोकतांत्रिक धर्म निरपेक्ष सरकार जनसामान्य के स्वर को उँचा उठाने, सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए पूरी तरह समर्पित थे। ये नेता सरकार की शक्ति का उपयोग समाज के पुनर्निमाण हेतु करना चाहते थे और जो इन मूल्यों के साथ सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाये उन्हें राजनीतिक परिदृश्य से बाहर होना पड़ा। संस्थाओं के पतन तथा व्यक्ति पूजा एवं प्रभावशाली व्यक्तियों की असुरक्षा की भावना ने भारत के नेतृत्व संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। रजनी कोठारी के अनुसार- यह नयापन

www.ignited.in

शक्ति की संरचना के विभिन्न स्तरों पर गहरी शून्यता के अतिरिक्त कुछ नही है। यह शून्यता उन लोगों द्वारा भरी गयी, जिन्हें राजनीति की कला में कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था जो एक लोकतांत्रित राजव्यवस्था की आवश्यकताओं और जटिल प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ थे जिनमें किसी भी प्रकार के संस्थागत अनुशासन से बंधने की चाह नहीं थी।

राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करनेवाले कारक-

1. पारिवारिक प्रभाव-

विभिन्न ग्राम पंचायतों के अध्ययन में सम्मिलित महिला ग्राम प्रधानों ने पंचायतों में अपनी राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करनेवाले कारक को निम्न रूपेण प्रकट किया -

शैक्षणिक स्थिति	परिवार	मित्र या रिश्तेदार	नेता	अन्य	योग
अशिक्षित	18 (40.90)	12 (27.27)	6 (13.63)	8 (18.18)	44 (27.5)
मिडिल	20 (35.71)	22 (39.28)	12 (21.42)	2 (3.57)	56 (35.0)
हाई स्कूल	4 (36.36)	4 (36.36)	02 (18.18)	01 (9.09)	11 (6.87)
इण्टर	10 (37.03)	08 (29.62)	06 (22.22)	03 (11.11)	27 (16.87)
स्नातक	9 (40.90)	08(36.36)	03 (13.63)	02 (9.09)	22 (13.75)
योग	61 (38.12)	54 (33.75)	29 (18.12)	16 (10.0)	160 (100.0)

सारणी के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 44 अशिक्षित उत्तरदात्रियों में से 40.90 प्रतिशत ने परिवार, 27.27 प्रतिशत ने मित्र या रिश्तेदारी, 13.63 प्रतिशत ने नेता तथा 18.18 प्रतिशत ने अन्य कारकों के प्रभाव से प्रभावित होकर चुनाव में उतरी थी। इसी प्रकार मिडिल शैक्षणिक स्तर के 35.71 प्रतिशत ने परिवार के प्रभाव से, 39.28 प्रतिशत ने मित्र या रिश्तेदार के प्रभाव से, 21.42 प्रतिशत ने नेता के प्रभाव से तथा 3.57 प्रतिशत ने अन्य कारकों के प्रभाव से उक्त चुनाव में उतरी थी। अतएव सारणी के संपूर्ण अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवार के प्रभाव से चुनाव मैदान में उतरने की बात बताने वालों की संख्या सर्वाधिक है।

2. राजनीतिक दल से सम्बद्धता-

प्राप्त आंकड़ों के आधार पर राजनीतिक दलों से सम्बद्धता के प्रति महिला ग्रारम प्रधानों का दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न रहा है। 40.90 प्रतिशत अशिक्षित उत्तरदात्रियों ने बताया कि राजनीतिक दल से उनकी संबद्धता है जबकि 59.10 प्रतिशत ने बताया कि राजनीतिक दल से उनकी संबद्धता नहीं है। स्नातक स्तर वाले शतप्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना था कि वे किसी न किसी राजनीतिक दल से संबद्ध है। कुल मिलाकर 51.25 प्रतिशत महिलाओं ने किसी भी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं होने की बात कही।

3. जाति एक प्रभावशाली कारक के रूप में-

राजनीतिक सहभागिता को प्रेरित करने वाले कारकों में जाति को प्रभावशाली कारक स्वीकार किया गया है। यह निम्न सारणी से स्पष्ट होता है-

शैक्षणिक स्थिति	अत्यधिक प्रभावशाली	प्रभावशाली	प्रभावहीन	कह नहीं सकते	योग
अशिक्षित	30 (68.18)	10 (22.72)	02 (4.54)	02 (4.54)	44 (27.5)
मिडिल	25 (51.78)	06 (10.71)	02 (3.57)	08(14.28)	56 (35.0)
हाई स्कूल	7 (63.63)	3 (27.27)	0	01 (9.09)	11 (6.87)
इण्टर	15 (55.55)	08 (29.62)	03 (11.11)	01 (3.70)	27 (16.87)
स्नातक	17 (27.27)	02(13.63)	01 (4.54)	01 (4.54)	22 (13.75)
योग	94 (58.75)	40 (25.0)	13 (8.12)	13 (8.12)	160 (100.0)

उपरोक्त सारणी के सम्पूर्ण अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 58.75 प्रतिशत उत्तरदात्री चुनाव में जाति को अत्यधिक प्रभावशाली, 25 प्रतिशत प्रभावशाली, 8.12 प्रतिशत प्रभावहीन मानते हैं और 8.12 प्रतिशत उत्तरदात्री उत्तर नहीं दी है।

4. विचारधारा-

चयनित महिला ग्राम प्रधानों की विचारधारा का परीक्षण कर यह जानने का प्रयास किया गया है कि सम्बन्धित महिला ग्राम प्रधानों का झुकाव किस विचारधारा की ओर है।विचारधाराओं को वर्गीकृत करना आसान कार्य नहीं है। फिर भी प्रमुख रूप से राष्ट्रवादी, समाजवादी, गांधीवादी, मध्य मार्गी तथा अम्बेडकरवादी विचारधाराओं को निम्नवत सारणीबद्ध किया गया है-

शैक्षणिक स्थिति	राष्ट्रवादी	मध्यमार्गी	समाजवादी	गांधीवादी	अम्बेडकरवादी	कह नहीं सकते	योग
अशिक्षित	10 (22.72)	08 (18.18)	12 (27.27)	02 (9.09)	5 (11.36)	5 (11.36)	44 (27.5)
मिडिल	28 (50)	11 (19.64)	8 (14.28)	03(5.38)	02 (3.57)	4 (7.14)	56 (35.0)
हाई स्कूल	7 (63.63)	3 (27.27)	1(9.09)	–	–	–	11(6.87)
इण्टर	11 (40.74)	08 (29.62)	04 (14.8)	03 (11.11)	01 (3.70)	–	27(16.87)
स्नातक एवं अधिक	17 (77.27)	03(13.63)	01 (4.54)	01 (4.54)	–	–	22(13.75)
योग	73(45.62)	33(20.62)	26(16.25)	11(6.87)	8(5.0)	9(5.62)	160(100.0)

सारणी प्रदर्शित करता है कि विचारधाराओं के सन्दर्भ में सर्वाधिक महिला ग्राम प्रधानों ने अपने आपको राष्ट्रवादी विचारधारा से संबद्ध बताया। इनका प्रतिशत 45.62 था। तीसरा बड़ा समूह मध्यमार्गी था जो कुल 20.62 प्रतिशत था। अतः कहा जा सकता है कि गया जिले के ग्राम पंचायतों में महिला प्रधानों की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने में राष्ट्रवादी विचारधारा एक प्रमुख कारक है। जबकि अम्बेडकरवाद और गांधीवाद दोनों की संख्या काफी कम है।

www.ignited.in

राजनीतिक सहभागिता प्राप्त होने के बावजूद महिला ग्राम प्रधान वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। जिसके लिये इन्होनें निम्न कारकों को प्रमुख माना है-

शैक्षणिक स्थिति	धनाभाव	नौकरशाहों का असहयोग	जन–असहयोग	योग
अशिक्षित	11 (25.0)	28 (63.63)	5 (11.36)	44 (27.05)
मिडिल	8 (14.28)	44 (78.57)	4 (7.14)	56 (35.0)
हाईस्कूल	7(63.63)	01(9.09)	03(27.27)	11(6.87)
इण्टर	5(18.51)	20(74.07)	02(7.40)	27(16.87)
स्नातक	3(13.63)	18(81.81)	01(4.54)	22(13.75)
योग	34(21.25)	111(69.37)	15(9.37)	160(100.00)

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 69.37 प्रतिशत उत्तरदात्री महिला ग्राम प्रधानों ने अपनी असफलता में सबसे बड़ी बाधा नौकरशाही के असहयोगात्मक रवैये को माना है। साक्षात्कार के समय अधिकांश उत्तरदात्री महिला ग्राम प्रधानों का विचार था कि नौकरशाही सदैव जनप्रतिनिधियों के प्रति असहयोगात्मक रवैया अपनाता है। उनका कहना था कि नौकरशाह जनप्रतिनिधियों के कार्य में बाधाएं पहुंचाते हैं जिससे समय पर कई कार्यों का कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। 21.25 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधान ने माना है कि धनाभाव के कारण वे उन उद्वेश्यों को पूर्ण करने में सफल नहीं हो सकी जो उन्होंने राजनीतिक सहभागिता के समय सोचा था। इसका मूल कारण पंचायतों को सरकार से प्राप्त होनेवाली राशि उनके नजर में अपर्याप्त है। 9.37 प्रतिशत उत्तरदात्री यह मानती हैं कि जन-असहयोग के कारण वे अपने उद्वेश्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो सकी हैं। इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं- प्रथम यह कि ऐसे लोग जो पंचायत चुनाव में हार चुके हैं उनका अनावश्यक हस्तक्षेप और दूसरा यह कि ग्रामसभा में जनता भी विकास कार्य में कई बार बाधक बन जाती हैं। इसके लिये जनता में कई बार जाति/धर्म इत्यादि के आधार पर किसी कार्य का विरोध अथवा समर्थन करना है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पंचायत स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता तो सुनिश्चित हुई है, किन्तु वे संविधान द्वारा प्राप्त पद के अनुरूप अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए कई महत्वपूर्ण कारकों को इस शोध-आलेख में सारणीबद्ध कर दर्शाया गया है। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बढ़ने के कारण जनता द्वारा चुने गये ये प्रतिनिधि अपने अधिकारों को प्राप्त करने के बावजूद स्वयं को सबल और समर्थ महसूस नहीं कर पा रही हैं। इसके लिये उनमें व्याप्त अशिक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो उनके आत्मबल को कमजोर करता है। प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर प्रसारित विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को विभिन्न माध्यमों से इनके समक्ष पहुंचाने का प्रयास भी किया गया है। किन्तु राजनीति में सहभागिनी होने के बावजूद ये अधिकार शून्यता की स्थिति में अपने पदों को ओढे हुए हैं।

संदर्भ ग्रन्थ

यूजीन लेंवीस, द अरबन पोलिटिकल सिस्टम, द डाइडेन प्रस, इलोनाइस, 1973

ए.आर. देसाई, रूरल सोशियोलॉजी इन इण्डिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1969

आयरन वीनर, पार्टी पॉलिटिक्स इन इण्डिया, प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रींसटन,1957

रजनी कोठारी, द पालिटिशियन्स, सेमिनार, नं0 299 जुलाई 1984

सिंह, वी.पी.:ग्राम पंचायत में जनसहभागिता, वाराणसी, 1992

संस्मरणः गया जिला पर विशेष, हिन्दुस्तान प्रस्तुति,मार्च2006

गजट अधिसूचना, पंचायत निर्वाचन 2006, समाहरणालय, गया (पंचायत शाखा), तिथि 4-7-06

Dayal, R. (1965). Community Development, Panchayat Raj Sahkari samaj, Metropolitan book co. New Delhi

Shrinivas, M.N. (1953). India's villages, West Bengal Govt. press

Corresponding Author

Manju Kumari*

Assistant Teacher, Primary School, North Saidpur, Mahendru, Patna

www.ignited.in